उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

पत्रांक 234 / ।।। संविदा दैनिक वेतन अंशकालिक नियमितीकरण / 13 दिनांक 3 जनवरी, 2014

1– मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
देहरादून, नैनीताल, टनकपुर क्षेत्र।

2– सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखंड परिवहन निगम,
ऋषिकेश / ग्रामीण / हरिद्वार / हल्द्वानी / रूद्रपुर / काठगोदाम / रानीखेत / लोहाघाट / टनकपुर

विषयः– उत्तराखण्ड परिवहन निगम में दिनांक 1–11–2011 से 10 वर्ष पूर्व अर्थात 1.11.2001 तक दैनिक वेतन, कार्य प्रभारी, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त हुए संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण विषयक।

उपर्युक्त विषयक आपके स्तर से दिनांक 1–11–2001 से पूर्व नियुक्त हुए संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव अपने डिपो की समिति की संस्तुति एवं मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) की संस्तुति के साथ निगम मुख्यालय प्रेषित किया गया। मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया।

समिति द्वारा डिपो / मण्डलीय प्रबन्धक की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये देहरादून क्षेत्र के 2 संविदा परिचालक एवं 1 संविदा चालक, नैनीताल क्षेत्र के 4 संविदा परिचालक एवं 4 संविदा चालक, टनकपुर क्षेत्र के 4 संविदा परिचालक एवं 6 संविदा चालक, कुल 10 संविदा परिचालकों एवं 11 संविदा चालकों के विनियमितीकरण की संस्तुति की गयी है जिस पर निगम मुख्यालय स्तर से निम्न प्रतिबन्धो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1– संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण से पूर्व सम्बन्धित मण्डलीय प्रबन्धक एवं सहायक महाप्रबन्धक उनके सभी अभिलेखों का मूल में सत्यापन कर लें एवं विनियमितीकरण नियमावली–2011 में दिये गये प्राविधानों अर्थात नियम 4 (1) (2) (3) (4) की परिधि में विनियमितीकरण प्रस्ताव का पुनः सत्यापन कर लिया जाय। आप द्वारा विनियमितीकरण हेतु प्रस्तावित कार्मिकों के विरूद्व किसी भी अनियमितता के लिए नियुक्ति प्राधिकारी एवं मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) संयुक्त रूप से उत्तरदायी समझे जायेगें।

2– उपर्युक्त क0सं0–1 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जिन संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु अनापत्ति दी जा रही है उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान कर लिया जाये एवं उनसे नियमानुसार एक शपथ पत्र इस आशय का ले लिया जाये कि जो अभिलेख उनके द्वारा दाखिल किये गये है अथवा दाखिल किये जायेगें वह सही है तथा उनके फर्जी अथवा असत्य पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी एवं उनके विरूद्व अभियोग भी दाखिल किया जा सकता है। संविदा कार्मिको द्वारा जो अभिलेख दाखिल किये जायें वह उनके द्वारा स्वप्रमाणित किये जायें।

3– जिन संविदा चालकों के नियमितीकरण हेतु अनापत्ति दी जा रही है उनके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम में प्रचलित नियमावली अन्तर्गत निम्न अर्हतायें अवश्य देख ली जायें तथा नियमानुसार मण्डलीय चयन समिति के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाये।

(क)– अभ्यर्थी को कक्षा 8 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
(ख)– अभ्यर्थी को भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष पुराना लाईसेन्स जिसमें सार्वजनिक सेवा यान चलाने का कम से कम 3 वर्ष पुराना पृष्ठांकन एवं हिल पृष्ठांकन आवश्यक होगा।

ऊॅचाईः–
(अ)– मैदानी क्षेत्र के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए 5 फिट 5 इंच।
(ब)– पहाड़ी क्षेत्र के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए 5 फिट 2 इंच।

इसी प्रकार संविदा परिचालकों के विनियमितिकरण से पूर्व उनके परिचालक लाईसेन्स एवं अन्य अभिलेखो आदि की जॉच भी कर ली जाये।

नियमित किये जा रहे कार्मिकों के सम्बन्ध में वह समस्त औपचारिक्तायें पूर्ण करायी जाये जैसा कि उनकी प्रथम नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमावली के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित है।

4– विनियमितीकरण नियमावली–2011 के नियम 6 (4) के अनुसार इस नियमावली के अधीन कार्मिक जिस वर्ग/श्रेणी (आरक्षित/अनारक्षित) से सम्बन्धित हे, उसका विनियमितीकरण उसी वर्ग/श्रेणी (आरक्षित/अनारक्षित) में उपलब्ध पदों/रिक्तियों की सीमा तक किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि उपनियम (2) के अनुसार अन्तिम संयुक्त पात्रता सूची में आरक्षित श्रेणी का कोई कार्मिक अपनी ज्येष्ठता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति/पद के सापेक्ष विचार क्षेत्र में आ रहा हो तो ऐसे कार्मिक को अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति के सापेक्ष विनियमित किया जायेगा,किन्तु यदि आरक्षित श्रेणी की रिक्ति हो और ऐसी रिक्ति के सापेक्ष विनियमितीकरण हेतु उस आरक्षित श्रेणी का पात्र कार्मिक उपलब्ध न हो तो उस रिक्ति के सापेक्ष किसी अन्य आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के कार्मिक को विनियमित नही किया जायेगा और ऐसी रिक्ति नियमित चयन के माध्यम से सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी से ही भरी जायेगी।

कृपया विनियमितीकरण से पूर्व उपरोक्तं बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाये।

5– विनियमितीकरण से पूर्व सम्बन्धित संविदा कार्मिक का नियमानुसार पुलिस सत्यापन एवं सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तभी विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाये।

6– जो संविदा कार्मिक आरक्षित श्रेणी के हैं उनके जाति प्रमाण पत्र की जांच अवश्य करा ली जाये।

7– विनियमितीकरण उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक प्रचलित नियमों की परिधि में न्युनाधिक 1 वर्ष की परीविक्षा अवधि में रहेगें।

8– विनियमितीकरण हेतु संविदा कार्मिकों को द्वितीय चरण की प्रश्नगत सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है जो अनन्तिम है।सभी अर्ह संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित कार्यरत संविदा कार्मिक की नियुक्ति तिथि के वरिष्ठता के आधार पर उक्त सूची को अन्तिमकृत करते हुये ज्येष्ठता का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

इस पत्र की एक छाया प्रति अपने डिपो/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाये। उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही से निगम मुख्यालय को भी अवगत करायें।

संलग्न– यथोपरि।

Ashish
3.1.2014

(आशीष कुमार)
महाप्रबन्धक(कार्मिक)
निगम मुख्यालय

प्रतिलिपिः– 1– प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव को महोदय के अवलोकनार्थ।
2– महाप्रबन्धक (प्रशासन)/वित्त नियंत्रक निगम मुख्यालय ।
3– महाप्रबन्धक (तकनीकी/संचालन) निगम मुख्यालय।
4– उपमहाप्रबन्धक (तकनीकी), निगम मुख्यालय को इस आशय से कि इसे निगम की बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5– नोटिस बोर्ड निगम मुख्यालय।

महाप्रबन्धक(कार्मिक)
निगम मुख्यालय